

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


उप नं० 17/18 तारीख रजू 13-4-18

उजवान - अमरसिंह बनाम पुरपराज कै०
ध्यान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से भीराम मेवासी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। इसका अर्थ अयत्न किया गया। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रथम हलिया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः जैरसायल को अन्तर्ग्रह अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम धनाव की भूमि आराजी नं० 900 रकबा 0.37 हेक्टर में आगामी पेशी तक अवेध खनन (बजरी) नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जैरसायल को जीरेवे आर्टिस से तलब कर दिनांक 14.6.18 को पेश हो।

1291-97
16.4.18


जगदीश अर्थ
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

8-1-18

पगावली तलब कर राजीनामानुसार मुडफमा खारिज करने की दरखास्त प्रस्तुत करने पर पगावली तलब की गई। राजी एवं धर्मिवासी ने प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया है कि ख. नं. 900 रकबा 0.37 हे० ग्राम धवान वावत मुडफमा आगे बचना नहीं चाहते हैं। मुडफमा खारिज करा दिया जावे। पक्षकारान द्वारा राजीनामा मुडफमा आगे नहीं बजने प्रस्तुत होने से मुडफमा खारिज किया गया है। पगावली फैसल नुसार डेकर नम्बर से डम धोकर कारखिल दफ्तर हो।